साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

# दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 32 ( प्रति बुधवार ),इन्दौर, 27 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

# चार प्राकृतिक तरीकों से कम किया जा सकता है जलवायु में बदलाव, कौन से हैं वो तरीके?

**नई दिल्ली। एक नए अध्ययन के मुताबिक, प्रकृति-आधारित जलवायु समाधान (एनबीसीएस) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) को कम करने और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) को हटाने के लिए शुरुआती चरण हैं। इसके लिए प्राकृतिक और कामकाजी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और बेहतर प्रबंधन रणनीतियां हैं जो जलवायु में बदलाव को कम करने में अहम हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन के माध्यम से जीएचजी को कम करना, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा निकट अवधि में उत्सर्जन में ज्यादा से ज्यादा कटौती करने से होता है।**

अध्ययन से पता चलता है कि चार प्रकृति आधारित जलवायु समाधान जिनका उपयोग कंपनियां और अन्य संस्थाएं कार्बन क्रेडिट का दावा करने के लिए सबसे अधिक बार करती हैं, उनके पीछे मजबूत वैज्ञानिक आधार होने की बात कही गई है। जलवायु में बदलाव को धीमा करने के लिए उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगलों के संरक्षण या पुनर्वनीकरण करना अहम है, इसके चार रास्ते हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि ऐसी अधिकांश अन्य विधियों की क्षमता का आकलन करने से पहले अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है। यह शोध हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रकृति-आधारित जलवायु समाधान संरक्षण, पुनर्स्थापन या प्रबंधन रणनीतियां हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य

ग्रीनहाउस-गैस उत्सर्जन को कम करना या वातावरण से कार्बन को हटाना है। पेरिस समझौते के 167 हस्ताक्षरकर्ताओं में से 100 से अधिक ने उन्हें जलवायु में बदलाव को कम करने की योजनाओं के हिस्से के रूप में शामिल किया है। इंडोनेशिया, कोलंबिया और चीन सहित कई देश पहले से ही अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर प्रगति के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। अध्ययन में 43 समाधानों के वैज्ञानिक आधार और विशेषज्ञों के भरोसे को देखा गया। इसने व्यक्तिगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, कार्बन क्रेडिट की गणना के तरीकों या कार्बन-कटौती परियोजनाओं के अन्य फायदों का पता नहीं लगाया। शोधकर्ताओं ने जिन 35 समाधानों पर विचार किया, उनमें से 35 के लिए कार्बन-क्रेडिटिंग प्रोटोकॉल मौजूद हैं और विभिन्न संस्थाओं ने क्रेडिट हासिल करने के लिए 28 समाधानों का उपयोग किया है।शोधकर्ताओं द्वारा पहचाने गए लगभग 70 प्रतिशत प्रकृति-आधारित क्रेडिट चार जंगलों से संबंधित परियोजनाओं के लिए हैं जिन्हें उन्होंने सबसे विश्वसनीय पाया। शोधकर्ताओं ने कहा कि अन्य तरीकों, जैसे कि कृषि वानिकी, मैंग्रोव और पीटलैंड का संरक्षण और घास के मैदानों की बहाली पर अधिक शोध करने की आवश्यकता है।

अध्ययन में शोधकर्ता ने कहा, जलवायु में बदलाव को कम करने की ठोस विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण की जरूरत है ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अध्ययन में यह सुनिश्चित करने के लिए एक आह्वान भी किया गया है कि प्रकृति-आधारित जलवायु समाधान पर गौर करें उन कार्रवाइयों पर जो वास्तविक जलवायु में बदलाव को कम करने के तरीके प्रदान कर सकते हैं, जबकि अन्य प्रकार की प्रकृति-आधारित कार्रवाइयों के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक आधार विकसित करना जरूरी है। अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रकृति-आधारित जलवायु समाधान महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन प्रकृति के चार प्रमुख प्रकारों से जुड़े विज्ञान की ताकत की पुष्टि करता है। प्रकृति आधारित समाधान और दूसरों की शमन क्षमता को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है।

# समुद्र तल से 6 हजार मीटर नीचे तक फैला है मौना कीआ पर्वत, माउंट एवरेस्ट से भी है ऊंचा

**दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौनसा है? इसके जवाब में आपका जवाब होगा, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल-भारत-तिब्बत सीमा पर है। इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पर्वत शिखर है, तो तुम एक बार चौंक जरूर जाओगे। जी हां, यह मौना कीआ माउंटेन है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है।**

मौना कीआ माउंटेन हवाई (संयुक्त राज्य अमरीका) के नजदीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है, इसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मौना कीआ की ऊंचाई 4,207.3 मीटर है, जिससे यह माउंट एवरेस्ट से छोटा है। लेकिन यह मौना की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार मौना कीआ माउंटेन समुद्र तल से 6 हजार मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना कीआ ज्वालामुखी माउंटेन है। रिपोर्ट्स की मानें तो समुद्र के बेस से यह माउंटेन लगभग एक लाख साल पहले बनना शुरू हुआ था। इसमें सदियों पहले हुए विस्फोट से निकले लावा के कारण इसका विकास होता गया। माउंटेन की दक्षिणी-पश्चिमी ढलानों पर ज्वालामुखी के लावा के निशान मिलते हैं, इससे यहां की ऊपरी सतह चिकनी और चिपचिपी है। लेकिन कई वर्षों से यह सुप्त ज्वालामुखी है। दूसरे शब्दों में कहें कि इस पर्वत में हजारों वर्षों से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है।

### बिछी रहती है बर्फ की सफेद चादर

यहां के वातावरण में नमी नहीं है, यह शुष्क है। धरती के वायुमंडल से तकरीबन 40 प्रतिशत ऊपर होने के कारण यहां हवा बहुत तेज चलती है और ठंडी होती है। अक्सर यहां बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। सर्दियों में तो मौना कीआ माउंटेन की जमीन कई मीटर गहरी बर्फ से ढक जाती है, इसीलिए इसे 'व्हाइट माउंटेन' भी कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात है कि मौना व्हाइट माउंटेन दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। मौना कीआ की सफेद बर्फीली चादर पर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे गेम्स बहुत खेले जाते हैं।

# पीटलैंड में छिपे सूक्ष्मजीवों के खाद्य जाल को बदल रहा है जलवायु परिवर्तन

हजारों वर्षों से, दुनिया के पीटलैंड ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और जमा किया है, इस ग्रीनहाउस गैस को हवा में नहीं बल्कि जमीन में रखा है। हालांकि पीटलैंड धरती पर केवल तीन फीसदी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, वे कार्बन भंडारण में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पीटलैंड दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में दोगुना कार्बन जमा करते हैं। जलवायु परिवर्तन के सामने पूरे कार्बन का भविष्य अनिश्चित है। अब, एक नए अध्ययन से पता चलता है कि इस भारी मात्रा में कार्बन जमा करने का भविष्य, कम से कम आंशिक रूप से, छोटे जीवों द्वारा प्रभावित हो रहा है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। पीटलैंड में अधिकांश कार्बन मृत और जीवित काई की स्पंजी परतों में बंद है, जो जमीन पर बिछी हुई है। वहां, ठंड, जलभराव, ऑक्सीजन की कमी वाली स्थितियों के कारण पौधों का सड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उनके द्वारा अवशोषित कार्बन वायुमंडल में रिसने के बजाय मिट्टी में ही रुका रहता है। ग्लोबल चेंज बायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं की एक टीम ने पीटलैंड मॉस के बीच रहने वाले प्रोटिस्ट नामक छोटे जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का परीक्षण किया। न केवल प्रोटिस्ट प्रचुर मात्रा में हैं, सामूहिक रूप से, उनका वजन ग्रह के सभी जीवों से दोगुना है, वे पीटलैंड और वायुमंडल के बीच कार्बन के समग्र संचलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे जीव का काम करते हैं, खाना, प्रजनन करना वे कार्बन भी अवशोषित करते हैं और निकालते भी हैं। कुछ जीव अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हवा से सीओ 2 खींचते हैं। अन्य प्रोटिस्ट शिकारी होते हैं, जो नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया को निगल जाते हैं, पीटलैंड मॉस स्वस्थ रहने के लिए जिन पर भरोसा करते हैं। शोध में कहा गया है कि उत्तरी मिनेसोटा के एक दलदल में, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने 10 खुले शीर्ष वाले बाड़े बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक 40 फीट चौड़ा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के अलग-अलग परिदृश्यों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है।

# लैंडफिल साइटों से उत्सर्जित हो रही है भारी मात्रा में मीथेन, एनजीटी ने दिए जांच के निर्देश

**मुंबई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एनजीटी ) ने 19 मार्च, 2024 को देश के कई शहरों में लैंडफिल साइटों पर रिपोर्ट तलब की है। इन शहरों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और कल्याण के साथ गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा के साथ-साथ असम का नाजिरा और डिब्रूगढ़-तिनसुकिया भी शामिल है।**

एनजीटी ने इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का भी निर्देश दिया है। इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक प्रतिनिधि और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित एक वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल होंगे। कोर्ट के निर्देशानुसार समिति महत्वपूर्ण तथ्य जुटाएगी और जरूरत पड़ने पर साइटों का दौरा भी करेगी। साथ ही इस बारे में एक रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपेगी। यह रिपोर्ट इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगी कि क्या साइटें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची द्ध का पालन कर रही हैं और अनुसूची के पैराग्राफ (एफ) में उल्लिखित किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए समिति के पास तीन महीने का समय है। रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल होनी चाहिए कि क्या साइटों को एमएसडब्ल्यू नियम, 2016 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से प्राधिकार प्राप्त हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में साइटों पर जमा कचरे की मात्रा और एमएसडब्ल्यू नियम, 2016 के अनुसार इन साइटों के आसपास वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़े शामिल होने चाहिए। समिति ओएनजीसी साइटों से मीथेन जैसे कार्बनिक उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र रिपोर्ट में करेगी। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भी इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यह मामला सात फरवरी, 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। इस खबर में मुख्य रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अध्ययन के आधार पर अहमदाबाद और सूरत में लैंडफिल साइटों से बड़ी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन की जानकारी दी गई थी। इस खबर में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और असम के कुछ शहरों में लैंडफिल साइटों को दर्शाने वाला एक चार्ट भी शामिल था, साथ ही इन साइटों से उत्सर्जित मीथेन की औसत मात्रा की भी जानकारी दी गई थी, जो भारी प्रदूषण का कारण बन रही है। अदालत की राय है कि इस खबर में पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। कोर्ट के अनुसार यह मुद्दा केवल चार राज्यों तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लगता है कि यह पूरे भारत की समस्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सभी संबंधित हवाई अड्डों और एयरलाइंस को सर्कुलर भेजने का निर्देश दिया है। इस सर्कुलर में उनसे शोर का स्तर कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई है, ताकि 18 जून, 2018 को जारी अधिसूचना का पालन किया जा सके। कोर्ट के निर्देशानुसार डीजीसीए को तीन महीने के भीतर, संबंधित हवाई अड्डों और एयरलाइंस को फैसले की एक प्रति के साथ ये सर्कुलर जारी करने होंगें। अदालत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को शहरी विकास और विमानन मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का सुझाव दिया है, ताकि भविष्य में हवाई अड्डे के विकास और आवासीय निर्माण के कारण होने वाले शोर से आम लोगों को बचाया जा सके।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अदालत को सूचित किया है कि उसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) और एटीसी पालम में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को सर्कुलर भेजा था। इस सर्कुलर में उनसे शोर को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की बात कही गई थी। उनसे आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया गया है। हालांकि यह निर्देश केवल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डों पर लागू होता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने तहत आने वाले हवाईअड्डों और वहां संचालित होने वाली एयरलाइनों के लिए इस तरह के सर्कुलर या निर्देश जारी नहीं किए हैं।

एनजीटी ने सुझाव दिया है कि एएआई को अपने द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों के लिए इसी तरह के निर्देश जारी करने चाहिए। इसके साथ ही उन हवाई अड्डों पर चल रही सभी संबंधित एयरलाइनों को भी निर्देश जारी करने चाहिए। यह कार्रवाई फैसले की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

## अब तक कुल 113 अभ्यर्थियों द्वारा 153 नाम निर्देशन पत्र दाखिल

**भोपाल** मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिये नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हुई। 27 मार्च को 64 अभ्यर्थियों ने 89 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये हैं। अधिसूचना जारी होने से 27 मार्च तक कुल 113 अभ्यर्थियों द्वारा 153 नाम निर्देशन पत्र भरे गये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि 27 मार्च तक लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी में 22 अभ्यर्थी द्वारा 30 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-12 शहडोल(अजजा) में 10 अभ्यर्थी द्वारा 14 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-13 जबलपुर में 22 अभ्यर्थी द्वारा 33 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-14 मंडला (अजजा) में 16 अभ्यर्थी द्वारा 18 नाम निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-15 बालाघाट में 19 अभ्यर्थी द्वारा 27 नाम निर्देशन पत्र एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिन्दवाड़ा में 24 अभ्यर्थी द्वारा 31 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक https://affidavit.eci.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार, 28 मार्च को होगी। श्री राजन ने बताया कि पहले चरण के लिये नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार, 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार, 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी।

# एनजीटी ने मणिपुर सरकार से मांगा जवाब, जिलाड वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है मामला

**नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मणिपुर सरकार को जिलाड वन्यजीव अभयारण्य में बड़े पैमाने पर की गई पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण के आरोपों पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामला मणिपुर के तमेंगलोंग जिले का है। इसके साथ ही अदालत ने 20 मार्च, 2024 को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, तमेंगलोंग वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी और तमेंगलोंग के उपायुक्त को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2024 को होगी।**

गौरतलब है कि इस मामले में आवेदक मैथ्यू गोनमेई ने एनजीटी को दिए अपने आवेदन में कहा था कि व्यापारियों और शिकारियों द्वारा वन उपज का दोहन किया जा रहा है, जिससे अभयारण्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने खेती जलाए जाने का भी आरोप लगाया है। मैथ्यू गोनमेई जिलादजंग गांव के निवासी हैं। उनका यह भी कहना है कि इस मामले में मणिपुर राज्य, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण संबंधी कार्रवाई नहीं कर सकता, जब तक कि अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत लंबित प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं। इस बारे में आवेदक ने तीन जनवरी, 2024 को मणिपुर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन को एक अभ्यावेदन भेजा था। इसमें दावा किया गया था कि अभ्यारण्य की सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित न होने के कारण वहां नियमित तौर पर पेड़ों की बेतहाशा कटाई की जा रही है। संरक्षण की कमी के चलते न केवल कुछ क्षेत्रों में पेड़ों को काटा गया है साथ ही इसकी वजह से झीलें सूख गई हैं और नेपसेमजी जैसी झीलें प्रदूषण का शिकार बन गई हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भद्रक जिले में अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मामला ओडिशा में भद्रक जिले की धामनगर तहसील का है। आरोप है कि वहां पर्यावरण मंजूरी (ईसी), संचालन की सहमति (सीटीओ) और खनन योजना के बिना अवैध खनन का गोरखधन्दा चल रहा है। ऐसे में एनजीटी ने इन आरोपों की सत्यता को जांचने के लिए समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार यह समिति संबंधित साइट का निरीक्षण करेगी और लगाए गए आरोपों के संबंध में चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत ने ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। इस बारे में एनजीटी में दर्ज शिकायत के अनुसार, धामनगर तहसील के उतेईपुर मौजा में उतेईपुर-2 रेत खदान में अनुमति क्षेत्र के बाहर बालू खनन हो रहा है। वहां मैन्युअल खनन के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, वहां हो रहा खनन स्वीकृत सीमा से अधिक है, जो दिन-रात चल रहा है। यह खनन पट्टा क्षेत्र से आगे तक फैला हुआ है। यहां तक कि मानसून सीजन में भी खनन हो रहा है, जिस पर प्रतिबंध है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पूर्वी पीठ ने उच्छेपोटा गांव में एक तालाब के भराव के आरोपों की जांच के लिए एक तथ्य-खोज समिति के गठन का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का है। इस समिति में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि और दक्षिण 24 परगना के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। यह समिति सम्बंधित स्थलों का दौरा करेगी और लगाए गए आरोपों की जांच करने के बाद चार सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। इस मामले में एनजीटी ने दोनों आरोपियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दक्षिण 24 परगना के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इन दोनों आरोपियों पर तालाब को भरने का आरोप है। कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। शिकायत के मुताबिक वहां मौजूद तालाब को मिट्टी से भरा जा रहा था। साथ ही तालाब पर इमारतों और चारदीवारी के निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां भी जारी थीं।

# सफाईकर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

**खंडवा** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम पत्र सौंप निर्वाचन में लगे सफाई कर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। महासंघ राष्ट्रीय महासचिव किशोर कुमार सारसर ने बताया कि खंडवा नगर निगम अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी में लगे सफाईकर्मियों का शोषण हो रहा है। निर्वाचन में लगे अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों को निर्वाचन ड्यूटी में मानदेय, नाश्ता, भोजन आदि सुविधाएं दी जा रही है। जबकि सफाई कर्मचारियों से दस घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन न मानदेय दिया जा रहा है, न भोजन,- नाश्ता मिल रहा है। इसे लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने मांग की कि सभी सफाई कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तरह मानदेय, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

**स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर( म.प्र. ) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर ( म.प्र. ) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008**